

तकनीकी निविदा

नाबार्ड द्वारा भाड़े पर कार लेना – 3 वर्ष की निविदा

निबंधन और शर्तें

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मुंबई में 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए भाड़े पर मोटर कार लेने के लिए एसी कार रेंटल एजेंसियों से कोटेशन आमंत्रित करता है जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों।

- (i) न्यूनतम 20 निजी कारें (इनोवा क्रिस्टा, स्विफ्ट डिसायर, टोयोटा एटीओस, फोर्ड आइकॉन इत्यादि) होनी चाहिए जिनमें से 12 कारें अधिमानतः इनोवा क्रिस्टा/ होंडा सिटी/ स्कोडा/ टोयोटा कैमरी होनी चाहिए।
- (ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ केंद्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ केंद्र सरकार के विभागों को समान तरह की सेवाएं प्रदान किए हों।
- (iii) न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर रु 1 करोड़ होना चाहिए।

अनुबंध में दिये गए फार्मेट के अनुसार सीलबंद लिफाफे में कोटेशन नीचे दिये गए पते पर प्रेषित किए जाएं।

मुख्य महाप्रबंधक

नाबार्ड, डीपीएसपी - पीएसएस

तल मंजिल, “जी” ब्लॉक, प्लॉट नंबर: सी – 24

बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बिकेसी)

बांद्रा – (पूर्व)

मुंबई – 400051

Hiring of Cars by NABARD — 3 year contract

Terms and Conditions

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), invites quotations for hiring of cars at Mumbai from locally based car rental agencies for the period 01 April 2022 to 31 March 2025 satisfying the following criteria:

- (i) Should have minimum of 20 owned cars (Innova Crysta/ Swift Dzire/ Toyota Etios/ Ford Icon etc.) of commercial registration, of which minimum of 12 cars should preferably be Innova Crysta/ Honda City/ Skoda/ Toyota Camri, etc.

(ii) Should have provided similar service to RBI/ Public Sector Banks/ Central Govt./ Public Sector Undertaking/ Central Government Departments during the preceding 3 years.

(iii) Should have a minimum annual turnover of Rs. 1 crore.

Quotations in sealed cover may be forwarded, in the format given in Annexure to the address given below:

Chief General Manager
NABARD, DPSP-PSS,
Ground Floor, '6' Block, Plot No.C-24
Bandra-Kurla Complex (BKC)
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

कोटेशन दो लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं। लिफाफा 1 में तकनीकी निविदा होनी चाहिए, जिसमें प्री - क्वालिफिकेशन के लिए बेसिक डाटा तथा सामान्य निबंधन और शर्तें होनी चाहिए और इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न होनी चाहिए:

Quotations may be submitted in 2 envelopes. Envelope I should contain Technical bid, having the basic data for pre-qualification and General Terms & Conditions, accompanied by copies of the following documents:

- (क) न्यूनतम 30 कारों के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में आर सी बुक की प्रतियाँ ।
- (a) Copies of the RC books regarding proof of ownership of minimum 20 cars.
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक / केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / केंद्र सरकार के विभागों के साथ किए गए वर्तमान ठेका / करार/ वर्क ऑर्डर से संबन्धित प्रतियाँ ।
- (b) Copies of the current contract/ agreement/ work order from RBI/ Central Govt./ Public Sector Banks/ Public Sector Undertaking/ Central Government Departments entered into during preceding 3 years.
- (ग) पिछले तीन वर्षों की आय कर (आई टी) रिटर्न ।

- (c) IT Returns for the preceding 3 years
- (घ) संबन्धित एजेंसियाँ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के पास पंजीकृत होनी चाहिए।
- (d) The agencies should be registered with the Goods and Services Tax (GST) Department.

लिफाफा नंबर 2 में निर्धारित फॉर्मेट में वित्तीय निविदा होनी चाहिए, दोनों लिफाफे मुहर बंद होंगे और उन पर निम्नलिखित अंकित किया जाए।

Envelope No.2 should contain financial bid in the prescribed format. Both the envelopes will

be sealed and super scribed.

1. भाड़े पर कार लेने के लिए तकनीकी निविदा
“Technical bid for hiring of car”
2. भाड़े पर कार लेने के लिए वित्तीय निविदा
“Financial bid for hiring of car”

पार्टियों के प्रतिनिधियों, यदि कोई, की उपस्थिति में 24 फ़रवरी 2022 को दिन में 2:30 बजे तकनीकी निविदा (लिफाफा 1) खोला जाएगा। सबसे पहले लिफाफा 1 को खोला जाएगा और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली पार्टियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके पश्चात शॉर्टलिस्टेड पार्टियों से संबन्धित लिफाफा 2 को 7 मार्च 2022 को दिन में 02:30 बजे खोला जाएगा।

The Technical quotations (Envelope I), will be opened at 1430 hrs on 24 February 2022 in the presence of the representatives of the parties, if any. At the first instance, Envelope 1 will be opened and parties complying with the eligibility criteria will be short-listed. Thereafter Envelope 2 in respect of the short-listed parties will be opened on 7 March 2022 at 1430 hrs.

कोटेशन प्रेषित करने की अंतिम तारीख 24 February 2022, दिन में 02 बजे तक है।

Last date for submission of the quotations - 24 February 2022 by 1400 hrs.

कोई कारण बताए बिना किसी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

The Bank reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reason whatsoever.

बोलीकर्ता के लिए अनुदेश

INSTRUCTIONS TO THE BIDDER

1. “तकनीकी/वित्तीय बोली” के साथ संलग्न बोली से संबंधित सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ के दाहिने कोने में ऊपर क्रमांक लिखा जाना चाहिए.
All bid papers annexed along with the '**Technical/ Financial Bid**' document should be **serially numbered on the top right hand corner** of every page.
2. तकनीकी/वित्तीय बोली का प्रत्येक पृष्ठ विधिवत हस्ताक्षरित और आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुद्रांकित होना चाहिए. तकनीकी/वित्तीय बोली के दस्तावेज की मूल प्रति/नोटरी से सत्यापित प्रस्तुत की जानी चाहिए. तकनीकी/वित्तीय बोली के दस्तावेज की मूल प्रति प्राप्त न होने पर उसे अस्वीकार किया जाएगा.
All pages of the Technical/ Financial bid document should be duly signed and stamped by the authorised signatory of the applicant. The Technical/ Financial bid document should be submitted in **original/ notarized**. Technical/ Financial bid document not submitted in original/ notarised will be rejected.
3. आवेदक तकनीकी/वित्तीय बोली दस्तावेज में दी गई सूचना के समर्थन में आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करे.
The applicant should submit all requisite documents in support of information furnished in the Technical/ Financial Bid document.
4. प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं के लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा खोलने की तारीख और समय लिखा होना चाहिए. निविदाएं **24 फरवरी 2022** को **1400** तक प्राप्त हो जानी चाहिए और तकनीकी/ वित्तीय बोली **24 फरवरी 2022** को **1430** को जो बोलीकर्ता उपस्थिति रहना चाहते हैं उनकी उपस्थिति में खोली जाएंगी.
Tenders should be submitted super-scribed with the name of the work, date and time of opening on the envelope. They will be received up to **1400 hrs on 24 February 2022** and technical bids will be opened on **24 February 2022 at 1430 hrs** in the presence of bidders who choose to be present.
5. नाबार्ड न्यूनतम बोली या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और निविदा को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को स्वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखता है तथा बोलीकर्ता कोट की गई दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा.
NABARD does not bind itself to accept the lowest or any TENDER and reserves the right of accepting the whole or any part of the TENDER and the Bidder shall be bound to perform the same at the rate quoted.
6. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में संलग्न की जानी चाहिए और उस पर क्रमशः **तकनीकी बोली और वित्तीय बोली** लिखा होना चाहिए.

Technical bid and the financial bid should be enclosed in separate sealed envelope, super-scribing **Technical bid and Financial bid respectively** thereon.

7. निविदा के विवरणों की प्रति हमारे बीकेसी स्थित कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से कार्यालय समय में सोमवार से शुक्रवार के बीच में प्राप्त की जा सकती है.

A copy of tender details can be obtained in person from our office at BKC, Mumbai during working hours between Monday to Friday.

8. वित्तीय बोली 07 मार्च 2022 को खोली जाएगी. तकनीकी बोली के मानदंडों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां ही खोली जाएंगी.

Financial bid will be opened on 7 March 2022. Financial bid shall be opened only in respect of those tenderers who have complied with the requirements as laid down in Technical bid criteria.

9. आप से अपेक्षा की जाती है कि आप आरटीओ और अन्य सुरक्षा और सुरक्षा निर्देशों के सभी निर्देशों को सुनिश्चित करेंगे और उनका अनुपालन करेंगे.

You will ensure and comply with all the instructions of RTO and other safety and security instructions.

वाहनों को किराए पर लेने संबंधी निबंधन और शर्तें

General Terms and Condition - Hiring of Cars

1. आप वित्तीय बोली में दी गई दरों जिस पर आपकी सहमति पहले ही ली जा चुकी है, के अनुसार कार उपलब्ध कराएंगे. उक्त दरें 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 अर्थात 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी.

You will provide cars as per the rates given in the financial bid which has already been agreed by you. These rates will be valid for the period from 01 April 2022 to 31 March 2025 i.e. 3 years.

2. यह नोट किया जाए कि बैंक का प्रधान कार्यालय और इसकी सभी आवासीय कालोनियां एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर (एक तरफ) के भीतर स्थित हैं. अतः, एयरपोर्ट के लिए पिक-अप और ड्रॉप दरें तदनुसार कोट की जाए. घंटों के बढ़ने की स्थिति में (4 घंटे से अधिक), अतिरिक्त घंटा प्रभार का भुगतान तदनुसार किया जाएगा. 4 घंटे और 40 किमी के अंतर्गत, यदि इसकी अवधि 6 घंटों अथवा 60 किमी से अधिक हो जाती है तब पैकेज 8 घंटे अथवा 80 किमी का माना जाएगा.

It may be noted that Bank's Head Office and all its residential colonies are located within 20 kms (one way) from both the airports, Therefore, airport pick-up and drop rates may be quoted accordingly. In case of increase in number of hours extra hours charges will be paid accordingly. Under 4 hours and 40 kms. if it exceed to either 6 hrs. or 60 kms., then automatically the package will be rolled over to 8 hrs. & 80 kms.

गैरेज और पिक-अप पॉइंट तथा वापस आने की अधिकतम दूरी 15 किमी होनी चाहिए और इसके अनुसार ही दावा किया जाए. यह एयरपोर्ट ड्रॉप/पिक-अप और रेलवे-स्टेशन ड्रॉप/पिक-अप के मामले में लागू नहीं होगा.

The maximum distance that can be claimed in respect of garage and point of pick up and back to garage would be restricted to 15 km. This would not be applicable in the case of airport drop/pick up and railway station drop/pick up.

3. आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई कारें साफ सुथरी हों और किसी तरह की तकनीकी खराबी से मुक्त हों. कार अच्छी तरह से साफ हो और इसमें उपयुक्त सीट कवर उपलब्ध कराए जाएं. कार में निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं.

(i) मोबाइल चार्जर (ii) दो समाचार पत्र (उक्त दिन का एक अंग्रेजी/ हिंदी समाचार पत्र और एक वित्तीय समाचार पत्र) (iii) प्रतिष्ठित ब्रांड जैसे बिसलेरी, किनली, एक्वाफिना, हिमालया इत्यादि की 01 लिटर पानी की दो बोतलें (iv) टिश्यू पेपर (पाउच में) (v) ड्यूटी में तैनात ड्राइवर के पास मोबाइल फोन.

The car should be kept clean and maintained in running and trouble free condition. It must be washed and be provided with proper seat covers. The following extra amenities must be provided in the car:

(i) Mobile charger (ii) Two newspapers (one English/Hindi and one financial News Paper of the date (iii) Two 01 litre Water bottles of reputed brand such as Bisleri,

Kinley, Aquafina, Himalaya etc. (iv) Tissue Papers (in pouch) (v) Mobile phone of the driver on duty.

4. ड्राइवर निर्धारित समय पर साफ-सुथरे पोशाक में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे, वे प्रतिदिन आधार पर गाड़ी का माईलेज रिकार्ड करेंगे और इसे उपयोगकर्ता/ स्टाफ द्वारा प्रमाणित करवाएंगे. बिल का भुगतान वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणिकता संबंधी रिकार्ड की प्रस्तुति के पश्चात किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, ड्राइवर सभी समय साफ-सुथरा, विनम्र, शिष्ट और हर समय अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे.

The driver in clean uniform must report for duty at the specified time. He should maintain a proper record of mileage on a daily basis and get the same authenticated by the user officer/staff. The payment of bill will be subject to the submission of this record, authenticated by the person using the vehicle. Besides they should be neatly turned out and be polite, courteous and service oriented at all times.

5. एजेंसी दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए और उनके पास टूरस और ट्रेवल्स सेवाएं प्रदान करने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र होने चाहिए.

The agencies should be registered under **Shop & Establishment Act** and have necessary certificate to run Tours and Travel services.

6. एजेंसी को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए. एजेंसी को पंजीकरण कराना और 15 अंकीय जीएसटी कोड संख्या प्राप्त करना अपेक्षित है जिससे कि वे बीजक/ चलान/ बिल जारी कर सकें. इन दस्तावेजों को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए जिसमें सेवा प्रदाता का नाम और पता, सेवा प्राप्तकर्ता, सेवा का विवरण, देय सेवा कर और सेवा मूल्य शामिल होंगे.

The agencies should be registered with the Goods and Services Tax (GST) Department. The agencies are required to take registration and obtain 15 digit GST Code Number and issue invoices/ challans/ bills. These documents should be serially numbered, and it should contain the name and address of service provider, service receiver, description of service, value of service and service tax payable thereon.

7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए अर्हतापूर्व मानदंड में अपेक्षित कार्य करने संबंधी पिछले अनुभव सहित कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों का बौरा, यदि कोई हो.

Details of work experience as per the requirement in the prequalification criteria supported by work orders, documents and certificates including previous experience, if any of carrying out work for National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

8. कार की बुकिंग केवल प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से/ ई-मेल/एसएमएस/टेलिफोनिक संदेश के माध्यम से की जाएगी. इस संबंध में, एक पुष्टि संदेश तुरंत भेजा जाएगा. यह एसएमएस कार की रिपोर्टिंग समय से कम से कम 12 घंटे पहले भेजी जाए. ड्यूटी के लिए देर से रिपोर्ट करने या रिपोर्ट न करने वाली कार बुकिंग के लिए न्यूनतम 500/- रुपये (पांच सौ केवल) की दंड कटौती या नाबार्ड

द्वारा वांछित बिलों का भुगतान करने के लिए अभी तक भुगतान नहीं हुए बिलों से किया जा सकता है.

Booking of cars will be done by authorised officials through verbal/ e-mail/ SMS/ telephonic message. A confirmatory message to be sent immediately. This SMS shall be sent at least 12 hrs in advance of the reporting time of the car. Car not reporting or reporting late for duty could attract a penal deduction of minimum Rs.500/- (Rupees five hundred only) for booking or as desired by NABARD, from the bills amount yet to be paid.

9. ड्यूटी स्लिप उपयोगकर्ता अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी और इसमें समापन समय किलोमीटर और समय अवश्य लिखा रहेगा तथा बिलों का निपटान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिप उनके साथ संलग्न न की गई हो. कार का उपयोग करने वाले अधिकारी से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करें.

The duty-slip will be signed out by the officials using cars and closing kilometres & time must be indicated and the bills will not be settled unless the signed duty slips are attached with it. The officials using the car may be requested to indicate their names under their signatures.

10. देखे गये स्थानों का विवरण ड्यूटी स्लिप के पीछे अवश्य लिखा जाए.

The places visited may be invariably mentioned on the reverse of the duty slip.

11. सभी आकस्मिक व्यय यथा पार्किंग प्रभार, टोल प्रभार आदि आपके द्वारा वहन किए जाएंगे और इसे संबन्धित बिलों में शामिल किया जाएगा.

All the incidental charges like parking charges, toll charges, etc., will be borne by you and included in the relevant bills.

12. शहर से बाहर के दौड़ों के लिए ड्राइवरों के पास पर्याप्त नकदी/ईंधन कार्ड आदि होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में कार का उपयोग करने वाले अधिकारियों से ईंधन प्रभार/ टोल प्रभार हेतु कोई राशि अदा नहीं करानी होगी.

In case of outstation tours, drivers should carry sufficient cash/ fuel card etc., and on no account the officials using the cars be made to pay for any amount towards fuel charges/toll charges, etc.

13. हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों को लाने या वहां से प्रस्थान करने से पूर्व, चालक अपने साथ उचित प्लेकार्ड ले जाएंगे जिसमें स्पष्ट रूप से अधिकारियों के नाम, फ्लाइट संख्या/ ट्रेन सं आदि का उल्लेख किया हो, कार पंजीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम और मोबाइल संख्या से संबन्धित विवरण एसएमएस द्वारा बुकिंग/ संबन्धित अधिकारी को भेजे जाएंगे, यदि ड्राइवर से संबन्धित ब्योरा एसएमएस के माध्यम से संबन्धित अधिकारी को नहीं भेजा जाता है तो बैंक असुविधा प्रभार के रूप में प्रति ट्रिप रु.50/- की राशि की कटौती करेगा.

The drivers will carry proper placards indicating clearly the name of the officials, flight number/ train number etc., when they proceed to the airport/ railway station for receiving the officials. The details of the car registration No., drivers name and mobile no. will be communicated via SMS to the booking/ dealing officer as well as

the passenger. If the driver details are not sent to the required persons in time by SMS then Bank could deduct Rs.50/- as inconvenience charges per trip.

14. बैंक का प्रधान कार्यालय और बैंक के आवासीय क्वार्टरों में वाहन की रिपोर्टिंग के सामने में पार्किंग प्रभार नहीं दिया जाएगा.

Parking charges will not be entertained if the vehicle is reporting at Bank's Head Office and Bank's residential quarters.

15. ड्राइवर के ड्यूटी पर न आने या वाहन (वाहनों) के खराब होने की स्थिति में कार एजेंसी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में, एजेंसी बैंक द्वारा किसी अन्य एजेंसी से वाहन किराये पर लेने में खर्च किए गए किराया प्रभार के बराबर की राशि बैंक को देगा.

The erring car agency failing to provide a car or substitute car in place of a defective/ breakdown car or for dereliction of duty on the part of the driver will have to compensate the Bank for an amount equal to the hiring charges incurred by the Bank for hiring similar category of car from some other agency.

16. सूची में सम्मिलित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध कराई गई कारें 3 साल से अधिक पुरानी न हो. The empanelled agencies shall ensure that the cars provided should not be more than 3 years old.

17. ड्राइवर प्रमुखता से कार के डैश बोर्ड पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे क्योंकि इसे सभी टैक्सी के लिए आवश्यक कार दिया गया है. ड्राइवर अपने मोबाइल फोन कभी बंद नहीं रखेंगे.

The drivers should display their Driving Licence prominently on the dash board of the car as is now mandated for all taxis. Drivers should always have their mobile phones in on mode.

18. सूची में सम्मिलित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कार में सभी आवश्यक कागजात यथा आरसी बुक, पीयूसी, बीमा इत्यादि उपलब्ध हो और ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो.

The empanelled agencies shall ensure that the cars have valid papers including RC Book, PUC, Insurance etc. and the drivers are in possession of valid driving licence.

19. ड्राइवर सदैव कार में उपस्थित रहेंगे और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना लंच आदि के लिए नहीं जाएंगे.

Drivers will always be available with the cars and would not proceed for lunch etc., without obtaining permission of the concerned officials.

20. बिल साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका भुगतान समान्यतः 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जायेगा. उचित सांविधिक कटौतियों के बाद सभी भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किये जाएंगे.

The bills will be raised on weekly basis and would be settled normally within a period of 15 working days. All payments will be made through e-payments after due statutory deductions.

21. आप यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन सही समय, सही स्थान पर पहुंचते हैं तथा सभी ड्राइवर और अन्य

स्टाफ अपने व्यवहार में विनम्र हो तथा समय पर सेवा प्रदान करते हैं.

You will ensure that the vehicles reach at the correct time, correct place and all the drivers and other staff are polite and prompt in their behaviour/dealing.

22. आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सभी विनियमों तथा प्रचलित अन्य सुरक्षा और संस्था विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रचलित नियमों/विनियमों में किसी चूक/ गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे.

You will ensure and comply with all the regulations of the RTO and other safety and security regulations that are in vogue and you will be responsible for any deviation/ non adherence to the rules/ regulations in place.

23. भाड़े पर वाहन देने वाले या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर द्वारा बैंक के मत में एतद्द्वारा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में यह करार बिना किसी नोटिस या इसके एवज में किसी तरह की क्षतिपूर्ति दिए बिना तत्काल समाप्त कार दिए जाने के लिए पात्र होगा.

The Hiring Agency or its agents/ employees/ drivers committing any breach of terms and conditions mentioned herein and/ or rendering unsatisfactory services, in the opinion of the Bank, shall render itself liable for summary termination of the agreement forthwith without any notice or any compensation in lieu thereof.

24. संविदा शुरू होने से पूर्व बैंक के पास केवल रु.50,000 /- का ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा होगा. बैंक को हुई किसी हानि की स्थिति में इस राशि का प्रयोग किया जाएगा.

Interest free security deposit of Rs.50,000/- only shall be with the Bank by a cheque before commencement of the contract. Any loss to the Bank shall be made good from this amount.

25. सूची में सम्मिलित एजेंसी किसी हानि, नुकसान या विधिक कार्रवाई और यातायात संबंधी किसी नियम के उल्लंघन करने पर देय लागत/ क्षतिपूर्ति/प्रभार/दण्ड/दावा के लिए खर्च की गई राशि की क्षतिपूर्ति बैंक को करेगा.

The empanelled agencies shall indemnify the Bank for payment of any loss, damage and legal actions and cost/ compensation/ charges/ fines/ claims owing to violation of any traffic rules accident or any other eventuality.

26. यदि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी समस्या का निपटान नहीं कर पाते हैं तो दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि मुंबई क्षेत्राधिकार के भीतर अपनी समस्या का फैसला करेंगे.

In the event that the parties cannot amicably settle a dispute, the parties agree to resolve the same by arbitration proceedings within the Mumbai jurisdiction.

27. यदि अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं तो इन न्यूनतम दरों/आंकड़ों को समेकित किया जाएगा और यह अंतिम रूप से अनुमोदित ट्रेवल्स एजेंसी पर लागू होगा.

In case different figures are received from different duties. These lowest rates/ figures will be consolidated and shall be acceptable to the finally approved travel agency.

28. संविधा अवधि के दौरान पेट्रोल के मूल्य में हुई किसी तरह की वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा.

Any increase of fuel prices during the contract period will not be entertained

29. ट्रेवल्स एजेंसी के संतोषजनक कार्य को पूरा करने और पुराने निबंधनों और शर्तों को स्वीकारने पर, संविदा की अवधि अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है.

The contract could be extended to another period of additional 02 years subject to satisfactory working of the travel agency and accepting the old terms and conditions.

30. नाबार्ड द्वारा किसी भी कारण बताए बिना सभी/किसी भी कोटेशन को रद्द किया जा सकता है.

All/ any quotation can be cancelled by NABARD without assigning any reason, thereof.

31. इस्तेमाल की गई भाषा के अर्थ को समझने या समझने में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी भाषा को अंतिम भाषा के रूप में लिया जाएगा.

In case of any ambiguity in understanding or deriving meaning of the language used, English language shall be taken as the final language.
